इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

139

यह अनुमति केवल उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती / श्री संजय त्रिपाठी, श्री आलोक त्रिपाठी व अन्य पिता /पति के नाम श्री दिनेश त्रिपाठी मुहल्ला नज़ूल प्लॉट नं० 60 सिविल स्टेशन (पार्ट) वार्ड नम्बर इला०

में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, सचिव के चिन्हित भवन चित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण करें।

20.4.2011

सचिव
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद

17/जोन-4/पुराना (नक्शा) प्र०आ० (म०प०) होटल/09-10
20.4.11

नोट :-

1. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार नहीं किया जाता है तो उसे गिरवाया जा सकता है। जिसका पूर्ण व्यय भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना सचिव विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये निर्मित अथवा पुनः निर्मित होगी तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनवाने वाले से 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क के साथ वसूल किया जायेगा।

2. इस अनुमति-पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ा कर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़िया, सीढ़ी, साप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी।

3. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।

4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।

5. प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।

6. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

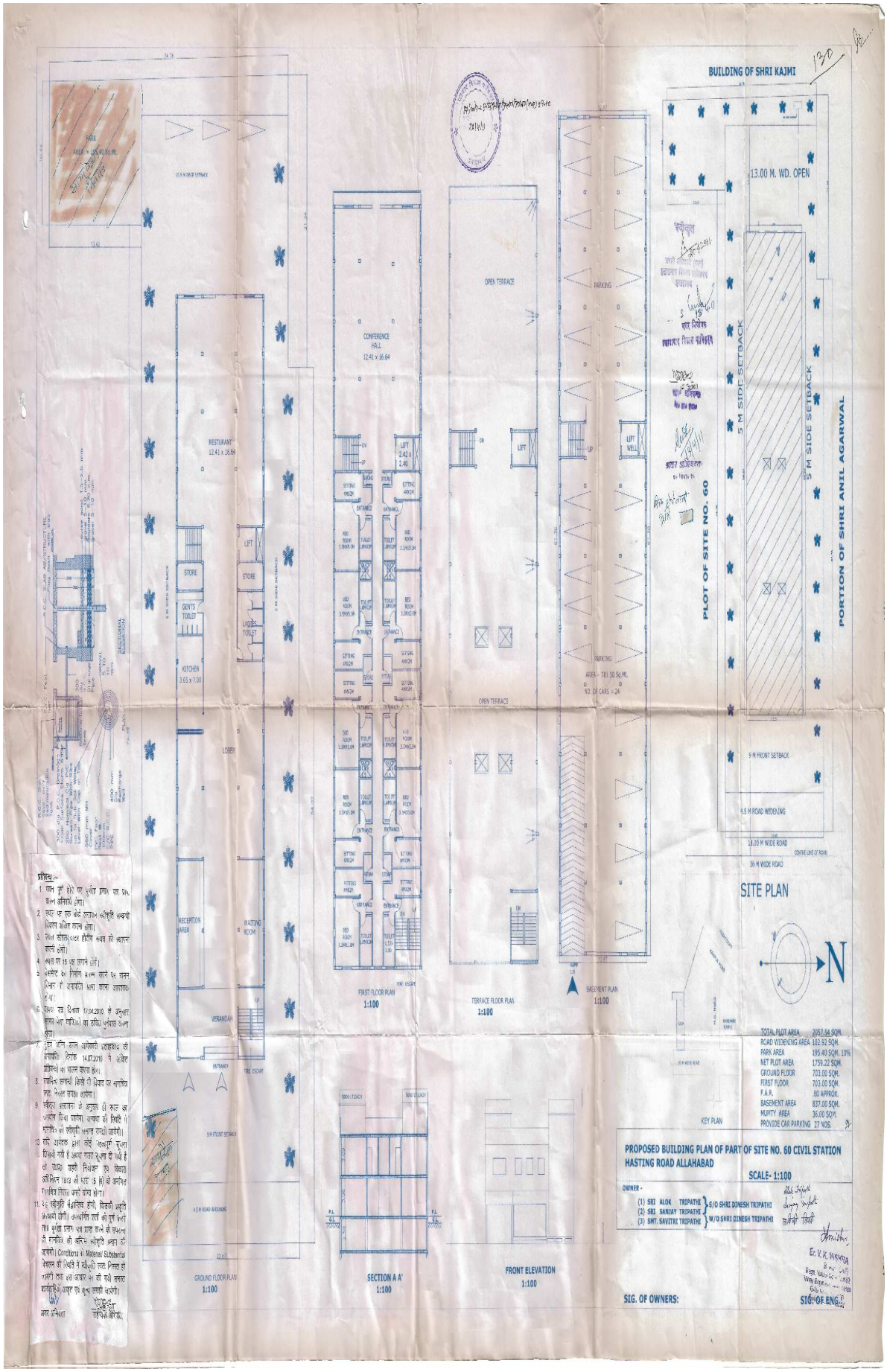

BUILDING OF SHRI KAJMI
13.00 M. WD. OPEN
5 M SIDE SETBACK
5 M SIDE SETBACK
PLOT OF SITE NO. 60
PORTION OF SHRI ANIL AGARWAL
9 M FRONT SETBACK
4.5 M ROAD WIDENING
18.00 M WIDE ROAD
CENTRE LINE OF ROAD
36 M WIDE ROAD
SITE PLAN
N
KEY PLAN
PARK
RESTURANT
12.41 x 16.64
STORE
GENTS TOILET
LADIES TOILET
KITCHEN
3.65 x 7.00
LOBBY
LIFT
RECEPTION AREA
WAITING ROOM
VERANDAH
ENTRANCE
FIRE ESCAPE
9 M FRONT SETBACK
4.5 M ROAD WIDENING
GROUND FLOOR PLAN
1:100
CONFERENCE HALL
12.41 x 16.64
SITTING ROOM
BED ROOM
TOILET
FIRST FLOOR PLAN
1:100
SECTION A A'
1:100
OPEN TERRACE
TERRACE FLOOR PLAN
1:100
FRONT ELEVATION
1:100
PARKING
AREA - 781.50 Sq.M.
NO. OF CARS = 24
BASEMENT PLAN
1:100
SECTIONAL ELEVATION
TOTAL PLOT AREA 2057.54 SQM.
ROAD WIDENING AREA 102.92 SQM.
PARK AREA 195.40 SQM. 10%
NET PLOT AREA 1759.22 SQM.
GROUND FLOOR 703.00 SQM.
FIRST FLOOR 703.00 SQM.
F.A.R. .80 APPROX.
BASEMENT AREA 837.00 SQM.
MUMTY AREA 36.00 SQM.
PROVIDE CAR PARKING 27 NOS.
PROPOSED BUILDING PLAN OF PART OF SITE NO. 60 CIVIL STATION HASTING ROAD ALLAHABAD
SCALE- 1:100
OWNER -
(1) SRI ALOK TRIPATHI
(2) SRI SANJAY TRIPATHI
S/O SHRI DINESH TRIPATHI
(3) SMT. SAVITRI TRIPATHI
W/O SHRI DINESH TRIPATHI
Er. V. K. MISHRA
SIG. OF OWNERS:
SIG. OF ENG.: